

- असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 2014/माघ 17, 1935

No. 296] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2014/MAGHA 17, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचनां

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2014

का.आ. 358(अ) — निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में अंतर्विष्ट इस अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के मीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना 🥕

पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण 2002 में स्थापित सिक्किम राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है । अभ्यारण उत्तर-पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पूर्व में भूटान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है । अभ्यारण के दक्षिणी भाग में पश्चिमी बंगाल राज्य है । अभ्यारण का क्षेत्र 128 वर्ग किलोमीटर है ;

और अभ्यारण में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ प्रजातियों की संख्या जिसके साथ-साथ लाल पांडा (एल्युरस फलगेंस), तेंदुआ (पेंथरापैराडस), कालीज महोख (लोफरस ल्युकोमीलाना) और हिमालयी गिद्ध प्रजातियों की संख्या सूचीबद्ध है । अभ्यारण में हिमालयी काला मालू (सेलेनाई करटस तिब्बतीयस), जंगली बिल्ली (फेलिस चौअस), उड़न गिलहरी, लोमडी (बलपेस बेनकलिनएसिस), गोरल (नीमोरेडियस स्प), जंगली सूअर (सस स्क्रोफा), कस्तूरी मृग (मोस्कस मास्कीफेरस), मारतीय गवल आदि महत्वपूर्ण प्रणिजाति पाए जाते हैं । अभ्यारण अपनी तितिलयों और पतंगों जैसे काली वेन्स (अपोरिया अगस्थोन अगस्थोन), मूटान ग्लोरी (मूटानियस लिंडरडालू लिंडरडाली) आदि, इसके अतिरिक्त, विभिन्न निवासी पक्षी प्राणीजाति की जनसंख्या प्रवासी पक्षियों की अत्यधिक संख्या में भी झुंड आते हैं, के लिए भी प्रख्यात है ।

और अभ्यारण के उत्तर-पश्चिम भाग में " गाय सुरागाय की झील" जैसे विडांग टासों जैसी उच्च उत्तांश झील भी है । अभ्यारण से उत्पन्न जलडाखा नदी जो भूटान से बहती हुई पश्चिमी बंगाल जाती है ।

524 GI/2014

और वन्य जीव और उसके पर्यावरण को संरक्षित, प्रचारित और विकसित करने की दृष्टि से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण के चारों ओर के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना आवश्यक है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य में पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 50 मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण की पश्चिमी सीमा से पच्चीस मीटर से प्रचास मीटर तक है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार जहां ढलान पैतालीस डिग्री से अधिक है पच्चीस मीटर और जहां ढलान पैतालीस डिग्री से कम है, पचास मीटर तक होगा। जहां अभ्यारण की सम्मिलित सीमा भूटान, चीन और पश्चिमी बंगाल के साथ लगी है, पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर पारिस्थितिक संवेदी जोन नहीं होगा।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, पूर्व (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.22) की ओर 27° 19'36 ''उत्तर अक्षांश और 88° 55'23 '' पूर्व देशान्तर ; पश्चिम (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.11) की ओर 27° 11'02 '' अक्षांश तथा 88° 41'30 '' पूर्व देशान्तर ; उत्तर (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.2) की ओर 27° 22'09''उत्तर अक्षांश और 88° 51'13 '' पूर्व देशान्तर और दक्षिण (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.13) की ओर 27° 08' 34 '' उत्तर अक्षांश तथा 88° 43'13 '' पूर्व देशान्तर से चिरा हुआ है ।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध 1** के रूप में दिया गया है ।
- (4) पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्यारह ग्रामों की सूची इस अधिसूचना उपाबद्ध प्रमुख बिन्दुओं के साथ उनके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध 2** में दी ग**ई** है ।
- (5) **उपाबंध 2** में दिए गए ग्रामों का राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय उसका अतिरिक्त पुनः निरीक्षण और पुष्टि की जाएगी ।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान--(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी।
- (2) जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों, जैसे वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंध, सिक्किम पुलिस, शहरी और आवास विकास, पर्यटन, ग्रामीण प्रबंध और विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण विभाग और भू-राजस्व तथा आपदा प्रबंध की सहभागिता से, उक्त योजना में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए तैयार किया जाएगा ।
- (3) जोनल मास्टर प्लान में अवकृष्ट क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संग्रहण प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, मृदा और आद्भता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (4) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों के किस्म और कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, झीलों, अन्य जलाशयों और ठेकेदारी इकाइयों का अभ्यंकन करेगा ।
 - (5) जोनल मास्टर प्लान सभी विधिमान्य अभिलिखित गैर वन्य भूमि के सिवाय होगा ।
- (6) जोनल मास्टर प्लान इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पैरा 4 में निर्दिष्ट कृत्यों के पालन के लिए राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रास्तपासंजोमास कहा गया है) के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।
- (7) जोनल मास्टर प्लान, पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के विनियमन के लिए उपायों को उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।
- (8) पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों, जो आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किए गए हैं, का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग में संपरिवर्तन अनुझेय नहीं होगा :

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि के कारण उदभूत स्थानीय निवासियों की आवासीय जरुरतों को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट, वर्षा जल संचय, कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं, प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग, पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग किओस, रज्जुरेल इत्यादि और सुरक्षा बलों के कैंप से संबंधित क्रमशः मद संठ 12, संठ 25, संठ 26, संठ 30 और संठ 31 में सुचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए ही अनुज्ञात होगा:

परंतु यह और कि समान रूप से जनजातीय प्रथाओं से गैर-जनजातीय प्रथाओं के लिए भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना कोई संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा ।

- (9) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी ।
- (10) **प्राकृतिक जलस्त्रोत**-सभी जंलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे।
 - (11) पर्यटन-पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण सारणी के पैरा 3 के स्तंभ (2) के अधीन पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस, रज्जुरेल इत्यादि और उससे संबंधित मद सं0 30 को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;
 - (iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;
 - (iv) पर्यटन क्रियाकलाप भी जोनल मास्टर प्लान का एक भाग होगा ।
- (12) नैसर्गिक विरासत- पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संघारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसी प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे।
- (13) ध्विन प्रदूषण पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।
- (14) वायु प्रदूषण पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981(1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।
- (15) **बहिस्त्रावों का निस्सारण :--** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निदारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।
 - (16) ठोस अपशिष्ट :-- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय खीकृत रीति में होगा !
- (17) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 में प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
- (18) **यानिक यातायात परिवहन** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी।
- 3. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित गतिविधियां पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोडने की इकाइयां	हां	-		सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां सिवाय स्थानीय निवासीयों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रतिषेध है;
2.	वृक्षों की कटाई		हां	_	राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर
					विना वन यो सरकारा या राजस्य यो निजा नूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ; (ख) संबंधित केंदीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना।	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण के कारण उद्योगों की स्थापना करना ।	हां	•	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए या विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	किसी परिसंकटमय सामग्री का उपयोग या उत्पादन ।	हां	-	***	
6.	वाणिज्यिक होटल और सेरगाह की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे ।
7.	जलाने के लिए उपयुक्त तकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	हां	-	<u>-</u>	
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	-	हां		(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा;
					(ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी;
					(ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि
9.	नए बृहत जल विद्युत	हां	-	-	भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे । पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय
	परियोजना का स्थापना			4	के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को
-					पूरा करेगी, संबधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यधीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।
10.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का परिनिर्माण ।		हां	_	भूमिगत केबिलिंग को बढ़ावा देना ।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन,	-	-	हां	

-					
, , ,	पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन				
12.	वर्षा जल संचयन '		-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
13.	होटलों तथा विश्रामालयों के विद्यमान परिसरों की बाड़ लगाना	 - , ´ .	हां	-	
14.	वनस्पतिक बाङ्	_	_	हां	
15.	जैविक खेती		_	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
16.	विद्यमान सङ्कों को चौड़ा	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाधात निर्धारण और अवशमन के
	करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण				लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	_	हां		वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ।
18.	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश		हां	_	
19.	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों	-	हां	-	
	जैसे वन्य-जीव अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि करना।				
20.	पहाड़ी ढालों और नदी के	_	हां		
20.	किनारों का संरक्षण	_		_	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निरस्तारण	हां	-		
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण	-	हां		उपचारित बहिर्ख़ाव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां .	_	
24.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	_		हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
25.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं			हां	
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि, उद्यानकृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
27.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	हां	-	_	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना तुरंत प्रभाव से अनुज्ञात नहीं होगी ।
28.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	1	हां	_	
29.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-		पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत मद संख्या 11, मद संख्या 25, मद संख्या 30 और

·					मद संख्या 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा । मद संख्या 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामलें में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा
					जाएगा ।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं	-	हां	-	
1	जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग,		,		
	किओस, रज्जुरेल इत्यादि			ļ	
31.	सुरक्षा बल कैंप	-	हां -	1	
32.	प्लास्टिक, के थैलों का	हां	_		
	उपयोग				

- 4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (रास्तपासंजोमास), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात:-
 - (i) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार -
 - (ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, शिलांग का प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (iii) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सदस्य ;
 - (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सिक्किम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (vi) सिक्किम सरकार के ग्रामीण प्रबंधन विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;
 - (vii) गोविंदवल्लभ पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सिक्किम का प्रतिनिधि सदस्य;


अध्यक्ष :

- (viii) सिक्किम सरकार के कृषि विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;
- (ix) सिक्किम सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग का प्रतिनिध- सदस्य ;
- (x) संबंधित जिले का कलक्टर- सदस्य ;
- (xi) संबंधित प्रभागीय वन्य अधिकारी पर्यावरण सदस्य ;
- (xii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, सदस्य सचिव ।
 - (2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रितिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, 'ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंधन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।
- (6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-दर-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

उपाबंध- 1

- (7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।
- 5. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों या पारित किए जाने वाले, यदि कोई हों,आदेशों के अधीन होंगे ।

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मानचित्र को दर्शित करने वाले अंतिम और विस्तारित अक्षांश और देशान्तर ।



त्रपाबंध-2

पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण, पूर्वी सिक्किम के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्राम

क्रम	नाम		अक्षांश			देशान्तर		
सं.	·	<u>ं</u> डिग्री	मिनट	सेकंड	ं डिग्री	मिनट	सेकंड	
1	पद्मचेन	27	14	33	88	47	11 .	
2	कटहार बोटे	27	11	11	88	41	53	
3	नीमाचेन	27	14	25	88	47	32	
4	सिंगानेबास	27	12	39	88	46	33	
5	प्रेमलाखा	27	13	22	88	47	29	
6	तालखारगा	27	10	11	88	43	24	
7	डोकचीन	27	10	26	88	.44	53	
8	सिसनी	27	12	3	88	45	22	
9	देवलिंग	27	11	13	88	42	15	
10	बिंबरे	27	11	5	88	42	53	
11	मांगखिम	27	11	1	88	41	39	

टिप्पण - इन ग्रामों में से कोई जिसका पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई भाग या संपूर्ण भाग है । ग्राम (ग्राम पंचायत इकाई) का केन्द्र तत्स्थानी अक्षांश और देशान्तर अंकीय सीमा के व्युत्पन्न रूप में हैं ।

[फा. सं. 25/13/2013-ईऐसजेड/आरई]

डा. जी.वी.सब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2014

S.O. 358(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public:

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Pangolakha Wildlife Sanctuary established in 2002 lies in the eastern part of the State of Sikkim. The sanctuary shares international boundaries with the Tibet Autonomous Region of China in the North-East and the Kingdom of Bhutan in the East. The State of West Bengal is in the southern part of the sanctuary. The area of the sanctuary is 128 square kilometres;

AND WHEREAS, the sanctuary supports a number of species listed under schedule-I of the Wildlife (Protection) Act, 1972(53 of 1972) inter-alia the red panda (Ailurus fulgens), leopard (Pantherapardus), kalij pheasants (Lophurs leucomelana) and himalayanvulture. The himalayan black bear (Selenarctos thebetamus), jungle cat (Felis chaus), flying squirrels, fox (Vulpes bengalensis), goral (Nemorhaedusspp), wild pig (Sus scrofa), musk Deer(Moschusmoschiferus), Indian bison etc. are other important fauna found in the sanctuary. The sanctuary is also well known for its butterfly and moth like black veins (Aporia agathon agathon), Bhutan glory (Bhutanitis lidderdalul idderdalli) etc., apart from a diverse residential avi-faunal population, the sanctuary is also hosts high number of migrating birds;

AND WHEREAS, The high altitude lakes like the Bidang tsho "the lake of the cow-yak" are in the north-western part of the sanctuary. The Jaldakha river which flows through Bhutan and West Bengal originates from the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the Pangolakha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view to protect, propogateand develop the wild life therein and its environment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 50metres from the boundary of the Pangolakha Wildlife Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

- 1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 25 meters to 50 meters from the western boundary of the Pangolakha Wildlife Sanctuary. The extent of Eco-sensitive Zone shall be 25 meters where the slope is more than 45 degree and the places where the slope is less than 45 degree, the extent of eco-sensitive zone shall be 50meters. There shall be no Eco-sensitive Zone on the Eastern, North Eastern and Southern boundaries, where the sanctuary shares boundary with Bhutan, China and West Bengal.
- (2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27° 19' 36" N latitude and 88°55'23"E longitude towards east(Reference point No.22 of map); 27°11'02"N latitude and 88°41'30"E longitude towards west(Reference point No.11 of map); 27°22'09"N latitude and 88°51'13"E longitude towards north(Reference point No.2 of map) and 27°08'34"N latitude and 88°43'13"E longitude towards south(Reference point No.13 of map).
- (3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure I**.
- (4) The list of 11 villages and a river falling within the Pangolakha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudesat prominent points are appended to this notification as **Annexure II.**
- (5) The villages as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.
- 2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**—(1)For the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Forest, Environment and Wildlife Management, Sikkim Police, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Management and Development, Irrigation and Flood Control, Public Works Department and Land Revenue and Disaster Management for integrating ecological and environmental considerations into the said plan.
- (3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.
- (4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, viliage settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.
- (5) The Zonal Master Plan shall exempt all legally recorded non-forestland.
- (6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), as referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.
- (7) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities specified under column (2) of the Table specified in para 3.
- (8) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item numbers12, 25, 26, 30 and 31 relating to rainwater harvesting, cottage industries including village artisans, etc., small scale industries not causing pollution, eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. and security forces camp, respectively, under column (2) of the Table in para 3:

524 40/14-3

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007).

- (9) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.
- (10) **Natural Springs.**-The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.
- (11) Tourism.-The activity relating to tourism within Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) no new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity listed at item No. 30 relating to Eco Tourism Facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. under column (2) of the Table in para 3;
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC;
- (iv) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.
- (12) Natural Heritage.- The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved; the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.
- (13) Noise pollution.-The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).
- (14) Air Pollution.-TheEnvironment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- (15) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).
- (16) Solid Wastes.-Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.
- (17) **Bio-medical Waste.**-The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Central Government *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.
- (18) **Vehicular Traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.
- 3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

SI. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-		(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are	
					prohibited except for the domestic needs of bona fide local residents.	
2.	Felling of trees.	-	Yes		(a) There shall be no felling of trees on the	
					forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in	
					the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance	
,					with the provisions of the concerned Centralor State Act and the rules made thereunder.	
3.	Setting up of saw mills.	Yes	- -	-	thereunder.	
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	.	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-	
5.	Use or production of any hazardous substances.	Yes	<u> </u>	-	sensitive Zone.	
6.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new commercial establishments such as hotels and resorts shall be	
-					permitted within the Eco- sensitive Zone.	
7. 8.	Commercial use of firewood. Commercial water	Yes	Yes		(a)The extraction of	
	resources including ground water harvesting.		1 05	-	surface waterand ground water shall be allowed only for bona fide agricultural	
	min volume.				use and domestic consumption of the occupier of the land;	
			:		(b) the extraction of surface water and ground water for industrial or	
-					commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission	
-				. •	from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be	

		 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					permitted;
			1.		(d) steps shall be taken to
	[· .	·			prevent contamination or
		,			pollution of water from
1	1				
					any source including
					agriculture.
9.	Establishment of new	Yes	-	-	Setting up of new hydro-
	major hydroelectric		,	i .	electric power plants
	projects.				(dams, tunnelling, and
	Frageria				construction of reservoir)
					and expansion of existing
					plants in the Eco-sensitive
					Zone is prohibited except
					the micro hydel power
					projects (Up to 100KW) or
	.		,	•	the mini hydel power
	-				projects (from 101 to
· .				, in the second	2000KW), which would
					serve the energy needs of
		·			the local communities,
					subject to consent of the
	. '				
					concerned Gram Sabha
					and all other requisite
					clearances.
10.	Erection of electrical	-	Yes		Promote underground
	cables and	,			cabling.
	telecommunication	-]
	towers.			·	
11.			·	Yes	
11.	Ongoing agriculture		-	res	
	and horticulture		1	•	
	practices by local			•	· ·
,	communities along	,			·
	with dairies, dairy	•			
-	farming, aquaculture				
	and fisheries.	•			·
12.	Rain water harvesting.		_	Yes	Shall be actively promoted.
12.	Ram water har vesting.		_	103	Sharr be actively promoted:
12	В		37		
13.	Fencing of existing	.	Yes		
	premises of hotels and		6		·
	lodges.				
14.	Vegetative fencing			Yes	
[]					
15.	Organic farming.	_		Yes	Shall be actively promoted.
16.	Widening and	<u> </u>	Yes		Shall be done with proper
10.			1 03		Environment Impact
			·		
	existing roads and				Assessment and mitigation
.	construction of new				measures, as applicable.
	roads,				·
17.	Movement of		Yes	-	For commercial purpose.
	vehicular traffic at			•	
	night.	•	'		
18.	Introduction of exotic	-	Yes	-	
16.		T	163	_	
10	species.				
19.	Undertaking activities	Yes	-	-	
	related to tourism like				.]
	over-flying the				.
] .]	sanctuary area by hot-				·
	air balloons, etc.		•		
20.	Protection of hill		Yes		
20,			1.09		
	slopes and river banks.				
21.	Discharge of untreated effluents and solid	Yes	<u> -</u>	= .	


	waste in natural water bodies or land area.				
22.	Discharge of treated	-	Yes	_	Recycling of treated
	effluents in natural				effluent shall be
1	water bodies or land				encouraged and for
	area.		1		disposal of sludge or solid
		, ,			wastes, the existing
					regulations shall be
					followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	. -	Yes	-	
24.	Adoption of green	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
	technology for all	. *			
	activities.				
25.	Cottage industries	-		Yes	
	including village				
į	artisans, etc.				
26.	Small scale industries		Yes	_	Non polluting, non-
	not causing pollution.				hazardous, small-scale and
		,			service industry,
	, ·	<u> </u>			agriculture, floriculture,
	· .				horticulture or agro-based
			-		industry producing
	·			_	products from indigenous
					goods from the Eco-
	•		÷		sensitive Zone, which do
	•				not cause any adverse
j .		-			impact on environment.
			4		
27.	New wood based	Yes			No establishment of new
27.	industry.	. 105			wood based industry shall
	madsa j.				be permitted within of
	•				Eco-sensitive Zone.
28.	Collection of Forest		Yes		Eco constant Dene.
20.	produce or Non-		103		12.00
	Timber Forest				·
	Produce (NTFP).				·
29.	Construction activities	Yes	_	_	No new construction of
29.	Constituction activities	103			any kind shall be allowed
	• •	•			within the Eco-sensitive
1					Zone, except for the
1	•				domestic needs of local
1				dr,	residents including the
1 -					activities listed at item
	ļ !	. !			numbers 11, 25, 30 and
}					31.In the case of activities
	,	l			listed at item number 26,
	* .	•			the construction activity
					shall be regulated and kept
1	,				at the minimum.
30.	Eco-tourism facilities		Yes		at the minimum.
30.		-	res	-	:
1	like home stays,				· ·
	ropeways, kiosks,				Section 1
	funiculars, etc.		V		
31.	Security Forces Camp		Yes		
32.	Use of plastic carry	Yes	.		
1	bags.	L			

4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee(SESZMC) for the State of Sikkim which shall comprise of:-

524 20114-4

- (i) Chief Secretary, Government of Sikkim- Chairman;
- (ii) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Shillong -- Member;
- (iii) Chief Conservator of Forests-Territorial-Member;
- (iv) Representative from State Pollution Control Board-Member;
- (v) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim Member;
- (vi) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim Member;
- (vii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development,
 Sikkim- Member;
- (viii) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim Member;
- (ix) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim Member;
- (x) Concerned District Collector-Member;
- (xi) Concerned Divisional Forest Officer, Environment Member;
- (xii) Director, Department of Environment-Member Secretary.
- (2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Ecosensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14thSeptember, 2006 but are falling in the Ecosensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes any of the provisions of this notification.
- (6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.
- 5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.





Annexure II List of villages falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Pangolaka Wildlife Sanctuary, East Sikkim.

Si.			Latitude		Longitude		
No	Name of the villages	Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Phadamchen	27	14	33	88	47	11
2:	KataharBotey	27	11	11	88	41	53
3.	Nimachen	27	14	25	88	47	32
4.	Singaneybas	27	12	39	88	46	33
5.	Premlakha	. 27	13	22	88	47	29
6.	Talkharga	27	10	11	88	43	24
7.	Dokchin	27	10	26	88	44	53
8.	Sisney	27	12	3	88	45	22
9.	Deoling	27	11	13	88	42	. 15
10.	Bimbirey	. 27	11	5	88	42	53
11.	Mangkhim	27	11	1	88	41	39

Note: These villages are the ones which have a part or whole of their area inside the Eco-sensitive Zone. The latitude and longitudes correspond to the cenroid of the village (Gram Panchayat Unit) as derived from the digitized boundaries.

[F.No. 25/13/2013-ESZ/RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'